

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।**

आज दिनांक- 08.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।
- महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 08.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।




## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 08.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



## थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ

### 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 आकाश मौर्य के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रोहित राजपूत पुत्र कालका प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम तुरा मुहार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम मवइया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 ऋषी शुक्ला के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त शुसेन्द्र राजपूत पुत्र अमरचन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम तुरा मुहार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद मो0सा0 पल्सर काले रंग की रजि0 नम्बर UP95X5847 बरामद करते हुए ग्राम अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 शिवदान सिंह के नेतृत्व में गठित तृतीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त पवन राजपूत पुत्र लखचन्द्र राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम किलौआ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद

करते हुए ग्राम इन्द्रहटा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.रोहित राजपूत पुत्र कालका प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम तुरा मुहार थाना पनवाड़ी जन0 महोबा
- 2.शुसेन्द्र राजपूत पुत्र अमरचन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम तुरा मुहार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
- 3.पवन राजपूत पुत्र लखचन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम किलौआ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

#### प्रथम पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 आकाश मौर्य 2.उ0नि0 ऋषी शुक्ला 3.कां0 प्रताप विक्रम सिंह

#### द्वितीय पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला 2.उ0नि0 आकाश मौर्य 3.कां0 तुषार सिंह

#### तृतीय पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शिवदान सिंह 2.उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी 3.कां0 आशीष कुमार सरोज



## थाना खरेला की पुलिस टीम ने

### 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 08.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सचिन राजपूत पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं0 631/21 धारा- 457/380/411/413 भादवि0 थाना कोतवाली महोबा व केस नं0 632/21 धारा- 380/411/413 भादवि0 थाना कोतवाली महोबा व केस नं0 633/21 धारा 457/380/413 भादवि0 थाना कोतवाली महोबा में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सचिन राजपूत पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.थानाध्यक्ष श्रीमती सुषमा चौधरी
- 2.उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
- 3.कां0 सचिन यादव



**"ईमानदारी की मिसाल - जनसेवा का सच्चा उदाहरण महोबा पुलिस।**

❖ **खोया- गुम हुए कीमती आभूषण खोजकर लौटाए**

❖ **भावुक हुए दम्पति, कहा- 'महोबा पुलिस पर हमें गर्व है'**

आज दिनांक 08.07.2025 को थाना महोबकंठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सौरा निवासी श्री अनिल कुमार अनुरागी पुत्र अमान बाबू अनुरागी ने थाना महोबकंठ पर समय लगभग 07:30 बजे सूचना दी कि वह अपनी पत्नी जयदेवी अनुरागी के साथ मंदिर दर्शन हेतु गए थे, इसी दौरान उनकी पत्नी का पॉकेट बैग, जिसमें एक सोने का हार (कीमत लगभग ₹1,80,000), एक सोने की जंजीर (कीमत लगभग ₹55,000), एक जोड़ी चांदी की पायल (कीमत ₹10,000 लगभग), तथा चांदी की बिछिया गिर गया है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

सूचना प्राप्त होते ही चौकी प्रभारी सौरा थाना महोबकंठ उ०नि० नरेश चन्द्र निगर मय हमराह कां० राहुल द्वारा तत्काल सक्रिय होकर खोजबीन प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा ग्राम सौरा के पास हाइवे किनारे से उपरोक्त कीमती सामान सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया। तत्पश्चात पीड़ित अनिल कुमार अनुरागी व उनकी पत्नी जयदेवी को थाने पर बुलाकर ससम्मान समस्त सामान सुपुर्द किया गया।

पीड़ित दंपति द्वारा जनपद महोबा पुलिस की संवेदनशीलता, ईमानदारी और त्वरित कार्यशैली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हार्दिक आभार प्रकट किया गया।

जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा व सहयोग हेतु सदैव तत्पर है। इस प्रकार की त्वरित कार्यवाही पुलिस की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



## थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ

### 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक:- 08.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह उ0नि0 सुनीत कुमार पाण्डेय व हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त निर्भान पुत्र छुट्टू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद प्लास्टिक की बोरी में 15 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम खन्ना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

निर्भान पुत्र छुट्टू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राधेश्याम सिंह
2. उ0नि0 सुनीत कुमार पाण्डेय
3. हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया





उत्तर प्रदेश  
112  
आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 08.07.2025

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

